15.17 hrs.

Title: **Discussion on the Coast Guard (Amendment) Bill, 2002. (Bill passed)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up item no. 8. The time allotted for this item is one hour. Shri George Fernandes.

...(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we protest against piloting of this Bill by Shri George Fernandes. So, we are walking out. ...(*Interruptions*)

15.17 hrs

(At this stage, Shri Priya Ranjan Dasmunsi and some other

hon. Members left the House.)

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, he cannot move the Bill. So, we are walking out in protest.

15.17 hrs.

(At this stage, Shri Rupchand Pal and some other

hon. Members left the House.)

15.17 hrs.

(At this stage, Dr. Raghuvansh Prasad Singh and some other

hon. Members left the House.)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> **"That the Bill further to amend the Coast Guard Act, 1978, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."**

The Coast Guard (Amendment) Bill, 1996 was introduced in the Rajya Sabha on 26th November, 1996. It was referred to the Standing Committee on Defence on 29th November, 1996 and the Report of the Standing Committee was presented in the Rajya Sabha on 22nd April, 1997.

The Rajya Sabha referred the Bill on 4th August, 1997 to the Select Committee of the Rajya Sabha, which considered the Bill and submitted its Report to the Rajya Sabha on 24th November, 1997. The Rajya Sabha passed the Bill on 17th July, 2002.

With a view to bring the provisions of the Coast Guard Act, 1978 in conformity with the provisions of the Army Act, 1950, the Navy Act, 1957 and the Code of Criminal Procedure, 1973, it is proposed to amend the Act to provide, *inter alia*, the following, namely:-

i. **Inclusion of the rank of *Pradhan Yantrik* in the definition of the expression "subordinate officer".**
ii. **Making the punishment for the offence of desertion more deterrent.**
iii. **Increasing the time limit within which the trial of the offender should begin where more time is spent in investigation of an offence or the commission of an offence comes to light after a long gap of its occurrence.**
iv. **Increasing the existing time limit during which trial of personnel ceasing to be subject to the Act shall commence.**
v. **Providing for punishment of officers below the rank of Commandant by the Director-General, Coast Guard and other authorities for expeditious trial of such officers for the offences which are of less serious nature.**
vi. **Regularisation of absence of personnel punished with mulcts (fine imposed for an offence) of pay and allowances.**
vii. **Admissibility of reports of certain scientific experts as evidence in trial proceedings.**

The recommendations of the Select Committee were:-

a. **Clause 3 − Amendment to Section 25 (2)**

i. **The term "desertion" should be re-defined explicitly specifying the kinds of desertion and also the punishment commensurate with the severity and nature of desertion.**

(ii) The attempts to commit any offence of desertion be covered under the

existing Section 45 of the Coast Guard Act; and

(iii) The forfeiture of pay, pension, gratuity, allowances, etc., should not

include the pay, pension and gratuity already paid.

The first two recommendations was examined in the Ministry and were not found acceptable. The third recommendation has been accepted.

In clause 4, amendment to Section 51(1) lays down the limitation period of three years for conduct of trial against an offender. It was proposed to specify the commencement of period of limitation for conducting such trial. In this regard, the Select Committee had recommended that different period for offences based on severity be laid down as defined in Section 468 CrPC. This recommendation has not been accepted since the crux of the amendment is to lay down the commencement of period of limitation similar to Sections 469 and 470 of the CrPC.

Further, similar provision also exists in the Army Act, 1950, the Navy Act, 1957, the Air Force Act, 1950, the National Security Guard Act, 1986 and Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992.

Clause 5 − Amendment to Section 52(2) − Section 52(2) lays down time limit for conduct of trial against the offender after he has ceased to be in service. At present, an offender can be tried for an offence within a period of six months after his retirement. This was proposed to be extended to three years. The Select Committee had recommended to reduce this period to two years. This has been accepted.

The Bill was withdrawn in the first place for the following reasons. The matter was considered by the Ministry of Law and Ministry of Parliamentary Affairs in November, 1998, who advised to withdraw the Bill and to introduce a fresh Bill in view of the amendments suggested by the Select Committee. The

Government, accordingly, decided to withdraw the Bill and introduce a fresh Bill that would be prepared after examining the suggestions of the Select Committee. The CCS approved the proposal to withdraw the Bill on 4th September, 2001. The Bill was withdrawn and reintroduced on 28th November, 2001.

I would request that the Coast Guard (Amendment) Bill, 2002, as amended by the Rajya Sabha, be taken up for consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> **"That the Bill further to amend the Coast Guard Act, 1978, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "**

SHRI K. MALAISAMY (RAMANATHAPURAM): Sir, this is the amendment envisaging certain changes in the existing provisions after having seen what are all the deficiencies and what are all the anomalies which can be made up by means of a few insertions on the one side and changes on the other. By and large, I am able to see that they have come out with certain changes that are quite relevant. Not only that, they are in conformity with the provisions of the other armed Services, namely, Border Security Force or Navy. What I could see is that this is the youngest armed service, when compared to the Army, the Navy, the Air Force, BSF etc., You are introducing so many changes by bringing into certain constraints and compulsions to this Service whereas whatever service privileges or benefits available for them are not at par with other Services. What I am trying to say is that they are doing a wonderful service throughout the length and breadth of the country. The entire coastline is to the extent of 7,600 kilometres. Coming specifically to Tamil Nadu, the coast line distance from Chennai to Kanyakumari is 16,000 kilometres. The entire coastline and the economic zones are being safeguarded by the Coast Guard with slender resources in terms of manpower and equipment besides lack of intelligence wing. They are not only called upon to do their task in the peace time, but also during the war time. No doubt, their task is so arduous and their resources are limited, besides, there are several constraints, still the Government is expecting them to safeguard the off-shore security and safety on the one side and to prevent piracy, smuggling, etc. on the other. Government also want them to assist the other enforcement agencies and not only that Government is employing them during the time of rescue measures also.

If I could read a statement as to what all they have done in terms of contrabands seized in one year, in terms of poaching and trawlers apprehended, in terms of repatriated Sri Lankan refugees, in terms of Pakistani goods exchanged, in terms of illegal immigrant infiltrators exchanged, etc. As such their tasks are varied and substantial.

In this Amendment Bill several provisions have been brought. They are extending the period of three years for taking disciplinary action, enabling to award deterrent punishment for desertion as in the case of Navy; extending the period of limitation to initiate the proceedings in the commission from three years to the date on which the report is given or, the date on which the identity of the person is known.

Then again for unauthorised absence, they want to effect new arrangements in par with other Services some more scientific experts have also been taken as one in the line of evidence. When all these amendments are proposed to equate with the provisions of other Armed Services, Coast Guard Service conditions are not equated with other armed Services. It is to be considered. They are also forced to accept on that concept. But whether their service conditions, whether their promotional avenues, whether their pensionery benefits, their salary and other emoluments perquisities are equated with that of BSF or Navy, etc. Coast Guards are very akin with Navy personnel while why there should be discrimination.

From my knowledge, I am given to understand that their services are not equated with that of the other Services and there is a sea of difference between the period of promotion from one rank to other. As far as the responsibilities are concerned, though they are doing excellent service, they are not all well reckoned and rewarded. The Government while proposing this kind of changes should take care of all these aspects also. This is what I want to highlight and insist.

For example, in Tamil Nadu, as a result of infiltration of LTTE through Tamil Nadu coast, Coast Guard Services are considered to be very essential but the problem is that are they well equipped to counter LTTE . LTTE are so quick, they have speed boats. Not only that, are they come well equipped, with most sophisticated weapons like AK-47, SLR, etc., but our Coast Guard is still having the age-old obsolete weapons, old vessels. In fact, the LTTE has never fought with our Coast Guards at all so far.

If they do it, they can destroy our vessels in no minute. With all that, Coast Guards are taking a risk to defend our coastal lines and you want to guard our coastal lines.

As far as men and materials are concerned, they are not well equipped. On the other hand, they should be strengthened and replenished depending upon the need and requirement of the present day. While replenishing and modernising the weapons and equipment, you may kindly think about the latest technology with which others are faring. That is my number one suggestion.

As I have already said, the service conditions of these people warrant very deep study so that they are boosted morally and their services are further enhanced and made attractive. Please examine how they can be equated with other Services.

Thirdly, you kindly develop and expand scientific lines corresponding to the latest technology. A perspective plan is required to augment the force.

Finally, Sir, you should establish a global link for global maritime distress search and service satellite. Unless you have that kind of a link, I do not think the purpose is really served. These are my random thoughts. You kindly do something concrete for their Service.

As Defence Minister, you have visited Rameswaram and other places in Tamil Nadu. You know the area. It needs special protection and surveillence in the wake of LTTE activities. Kindly see that some concrete action is ensured always.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत टैक्निकल बिल है इसलिए इस पर बहुत लंबा भााण करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो बिना बहस के ही इस बिल को पास हो जाना चाहिए था। हम एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करेंगे।

तटरक्षकों की भूमिका पर हमें ध्यान देना होगा। उन्हें अनेक तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है और बहुत लंबी दूरी तक रक्षा करनी पड़ती है जहां लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन से उन्हें मुकाबला करना पड़ता है, समुद्र के रास्ते जो स्मगलर्स आते हैं. उनसे मुकाबला करना पड़ता है। युद्ध के समय भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसी स्थिति में तटरक्षकों को मज़बूत करना पड़ेगा। जहां उनको ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार मुहैया कराए जाने चाहिए, वहीं पर उनकी चौकियों का जहां-जहां निर्माण किया गया है, वहां उनकी संख्या बहुत कम रहती है, इसलिए उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। उनकी संख्या बढ़ेगी, उनके पास आधुनिक हथियार होंगे, तभी वे मज़बूत होंगे और हमारे सीमा तटों की रक्षा होगी। अपराधी को आप दंड तो दें, जितने ज्यादा कठोर दंड दे सकें, वह दें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सेना के दूसरे अंगों में जिस तरह से लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाती है, वह उन्हें उपलब्ध नहीं है। जहां उनसे कठोर काम लिया जाता है, वहीं उनको कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराई जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, अनुशासन किसी भी सशस्त्र बल का प्राण होता है और उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए, कोस्ट गार्ड्ज को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा यह बिल लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तटरक्षक संशोधन विधेयक 2002 का प्रबल समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हमारी समुद्र तटीय सीमाएं बहुत लम्बी हैं और जिस प्रकार से हम उत्तर की सीमाओं की रखवाली करने के लिए या थल सीमा की रक्षा करने के लिए, सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. या सी.आई.एस.एफ. आदि संगठनों को संगठित, मजबूत और आधुनिकीकरण और लेटेस्ट हथियारों से युक्त कर रहे हैं ताकि वे सारी परिस्थितियों का उत्तर दे सकें उसी प्रकार से हमारे तट रक्षक बल का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उन्हें नवीनतम शस्त्रों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में समुद्री विज्ञान का अध्ययन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चक्रवात भी आते हैं, तूफान भी आते हैं। ऐसे समय वे अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे जहाजों की रक्षा करते हैं अथवा अपनी गश्ती नौकाओं को ले जाकर तस्करों को पकड़ने का काम या पायरेसी रोकने, समुद्री डकैतों को पकड़ने का काम करते हैं। श्रीलंका या चीन की घुसपैठिया नौकाओं को, जो हमारी जल सीमा में मछली मारने के लिए घुस आती हैं उन्हें पकड़ने का काम और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों को देश में आने से रोकने का काम भी इनका है। इसलिए इनके पास जो गस्ती नौकाएं हों वे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित और सुव्यवस्थित तथा सभी आधुनिक हथियारों से लैस होनी चाहिए और पनडुब्बियां इत्यादि भी होनी चाहिए। मैंने केरल में सुना है कि किस प्रकार से हमारे देश के कोस्ट गार्ड इंडोनेशिया की नौकाओं को पकड़ने का काम या चीन की नौकाओं को पकड़ने काम करते हैं जो हमारे देश की जल सीमा में चोरी-छिपे मछली पकड़ने घुस आती हैं। इसलिए कोस्ट गार्ड की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इनको पेंशन संबंधी सुविधाएं, भू.पू. सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं या रिटायरमेंट के बाद और सेवा में रहते हुए जो सुविधाएं अन्य बलों के लोगों को मिल रही हैं, वे इन्हें भी मिलनी चाहिए। सेवा-शर्तों में सुधार, वेतनमानों में सुधार आदि सब होने चाहिए। उन्हें आप अनुशासन में जकड़ रहे हैं। वह भगोड़ा नहीं हो सकता। यदि भगोड़ा हो गया, तो क्या-क्या सजा मिलेगी और कितनी सजा मिलगे और उसमें एक्सपर्ट वगैरह की रिपोर्ट को भी माना जाएगा। ये सारी बातें कर रहे हैं और जैसा अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने दोहराया कि 1978 के मूल कानून में सात प्रकार के संशोधन किए गए हैं। यह तो ठीक है, लेकिन अनुशासन लाने के लिए, सजगता और सतर्कता बरतने के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह आवश्य किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं इस बल की महत्वपूर्ण सेवाओं को देखते हुए और हमारे जल की सीमाएं जो बहुत विस्तृत हैं, उसको देखते हुए मंत्री से कहना चाहूंगा कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए तटरक्षक बल को भी सुदृढ़ बनाना होगा। अगर यह मजबूत बनेगा, तो हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और यदि हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित होंगी तो हमारे जहाज और व्यापारिक जहाजों का आना-जाना ठीक प्रकार से हो सकेगा। नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट और बी.एस.एफ. एक्ट के अंतर्गत जो बातें हैं, क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड में जो बातें हैं, उन सारी बातों से संगति बैठाने और पुराने कानून में जो विसंगतियां थीं, जो कमियां थीं, उनको दूर करने के लिए यह सब किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जो पाजीटिव साइड है, उसे भी मंत्री जी देखेंगे। मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री जी बहुत संवेदनशील आदमी हैं और निश्चित रूप से कोस्ट गार्ड की सेवा-शर्तों के बारे में वेतनमानों के बारे में ध्यान देंगे। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है। डा. मलयसामी ने कुछ ऐसी बातें छेड़ीं, जिनको हम पिछले एक अरसे से सोच रहे हैं कि उन्हें कैसे बदलें, इस काम में हम लगे हुए हैं। हमारे कोस्ट गार्ड संख्या में बहुत ज्यादा नहीं हैं। लगभग 5000 हैं। उसका जो कुल बजट है वह भी बहुत बड़ा नहीं है। इसका कैपीटल बजट 296 करोड़ रुपए का है और रैवेन्यू बजट 273 करोड़ रुपए का है। यह बात सही है कि हमारी 7600 किलोमीटर लम्बी हमारी समुद्री सीमाएं हैं और इसका बजट लगभग 550 करोड़ रुपए का है। इतनी लम्बी सीमाओं की सुरक्षा करने में उनको कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है, यह मैं जानता हूं।

पिछले चार सालों में उनकी स्थिति में सुधार लाने और उन्हें जिस प्रकार के आधुनिक शास्त्रों तथा नाव की जरूरत है वह उन्हें दिलाने के लिए हमने प्रयास किया है। लेकिन जितना होना चाहिए, उतना करना हमारे लिए संभव नहीं रहा। उसका एक ही कारण है कि इस फोर्स के लिए जितना बजट था, वह हमें जितनी इजाजत देता है, उतना ही काम हम कर सकते हैं। हम कानून में जो अमेंडमैंट ला रहे हैं, उसे कोस्ट गार्ड की सुविधाओं आदि के साथ जोड़ना ठीक नहीं है क्योंकि कानून केवल अनुशासन के प्रश्न को ही कुछ और मजबूत करना चाहता है। उससे अधिक इस कानून में और कुछ नहीं है।

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि हम उसें जो परिवर्तन ला रहे हैं या सुधार ला रहे हैं, वह इतने ही हैं कि थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए अनुशासन के जो नियम हैं, उन नियमों के साथ हम कोस्ट गार्ड को भी बिठाना चाहते हैं क्योंकि कोस्ट गार्ड का काम लोगों की दृटि में सीमा की सुरक्षा करने तक ही है लेकिन हकीकत कुछ और है। अभी जब पाकिस्तान से तनाव की स्थिति बनी और हमारी सेना तैनात हो गई तो उस समय सेना की तैनाती का आदेश देते हुए हमें यह भी करना पड़ा कि हम कोस्ट गार्ड को नौ सेना के साथ जोड़ें और नौ सेना के अधिकार में उनको रखें। जब स्थिति में कुछ सुधार हुआ और नौ सेना अपने अपने केन्द्र पर चली गई तब उस समय कोस्ट गार्ड अपने नेतृत्व को लेकर अपने काम में लग गया। लेकिन कल अगर किसी भी परिस्थिति का निर्माण हो, जहां हमें तनाव दिखाई देता हो, तो कोस्ट गार्ड नौ सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि जो भी अनुशासन के नियम हैं, वे नियम सबके लिए एक ही बना दें। यह कानून यहीं तक अपने को सीमित रखता है।

अभी श्री प्रभुनाथ सिंह जी सदन में नहीं हैं। उन्होंने अपने भााण में कुछ नयी चौकियां बनाने की बात की थी। पिछले साल जनवरी महीने में हमने 12 नयी चौकियां बनाने की योजना तैयार की थी लेकिन जिस रफ्तार में हमें वह काम करना चाहिए, वह करना इसलिए भी संभव नहीं रहा क्योंकि उसके लिए जितनी पूंजी की आ वश्यकता है, वह पूंजी हमारे पास नहीं रही। लेकिन उसमें से तीन केन्द्र अभी शीघ्र ही तैयार हो जायेंगे और पश्चिमी किनारे पर क्योंकि वह ऐसा इलाका है जहां अनेक प्रकार की हरकतें होती हम देख रहे हैं। विशेकर कच्छ और रण के इलाके में, उसके दक्षिण के इलाके में न केवल तस्करी होती है बल्कि उस तस्करी के साथ नारकोटिक्स का भी आवक-जावक होता है। उसके साथ-साथ वहां हथियारों का भी व्यापार चलता है।

इन सब चीजों को मद्देनज़र रख कर सबसे पहले पश्चिमी किनारो को मजबूत बनाने के कार्य में हम लोग लगे हैं और कुछ और पैसे का आवंटन होने पर, शीघ्र ही हम

उस काम को पूरा कर पाएंगे।

मैं कोस्ट गार्ड द्वारा किए गए एक कार्य का जिक्र यहां करना जरूरी समझता हूं। यह डेढ़ साल पहले का किस्सा है। जापान के एक जहाज, जिसका नाम अलोंड्रा रेनबो था, को चुरा कर पॉयलट्स कहां गए, इसका पता नहीं लगा। यह बात कई महीने ऐसी ही चलती रही। माननीय सदस्य श्री मलयसामी ने कहा कि एक अंतर्राट्रीय स्तर का कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए जहां इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए केन्द्रित इंतज़ाम हो। इस प्रकार का इंतज़ाम है जिसके चलते हमारे कोस्ट गार्ड और हमारी नीति को सूचना मिली कि जापान का वह जहाज गायब है। उसकी खोज सारे विश्व में हुई लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। इतिहास यह है कि एक बार अगर कोई पायरेसी जहाज की होती है तो फिर उसे पकड़ने का काम कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारे कोस्ट गार्ड ने यह चमत्कार किया। अलोंड्रा रेनबो दूसरे नाम से चल रहा था, उसका रंग बदल दिया गया था, उसमें पूरा परिवर्तन किया गया था लेकिन उन्होंने उसे पहचाना और पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब उन्होंने शस्त्रादि के इस्तेमाल का प्रयास करना शुरू किया तब हमें अपनी नौसेना को भी वहां बुलाना पड़ा। नौ सेना और हमारे कोस्ट गार्ड, दोनों ने मिल कर उस जहाज को पकड़ कर जापान को वापिस कर दिया। इससे जापान के लोग इतने प्रसन्न हुए कि वहां यह एक चर्चा का विाय बन गया।

जब मैं रक्षा मंत्री के नाते जापान गया था तब वहां प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से लेकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने इस विाय की चर्चा न की हो। तब से लेकर आज तक हमारे कोस्ट गार्ड के बड़े अधिकारी विशेा कर जो प्रशिक्षक हैं, उन्हें विश्व के कम से कम 7-8 राट्रों में इस बात के लिए बुलाया गया कि वे उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दें कि वे अपने कोस्ट गार्ड का किस तरह निर्माण करें, किस तरह मजबूत करें। यह है हमारे कोस्ट गार्ड की काबलियत। हमें अपने पूरे देश पर गर्व है। इस पर हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे।

पीछे से श्री नीतीश जी ने कहा, जब प्रभुनाथ सिंह जी खड़े हो गए, बिहार के समुद्र का कोई संबंध नहीं है लेकिन हकीकत यह है कि कोस्ट गार्ड और नेवी में बिहार के लोग जितनी संख्या में हैं, उतनी संख्या में किसी दूसरे प्रदेश के लोग नहीं हैं। यह काम बहुत कठिन है और कभी हफ्तों, कभी महीनों तक समुद्र में ही रहना पड़ता है और जिस अवस्था में रहना पड़ता है, यह काम करने वाले लोग ही जानते हैं। बिहार के लोग इस काम में उस्ताद हैं, इसलिए सबसे बड़ी संख्या में आज हमें बिहार के लोग ही इन दोनों सेवाओं में देखने को मिलते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को फिर धन्यवाद देता हूं। अनुशासन की जो बात प्रोफेसर साहब ने यहां कही, उस अनुशासन के प्रश्न को लेकर हम यह कानून आज सदन के सामने लाए हैं। इसे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन देर से आया है। हम प्रार्थना करते हैं कि सदन इसे स्वीकार करे।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Sir, I would like to ask a clarification from the hon. Minister.

While replying, the hon. Minister has mentioned about stumbling of Coast Guard in the West Coast. I come from Orissa, which is in the East Coast. There are so much of illegal immigrations from Bangladesh. There is poaching of the prawn from our Indian waters on the Orissa Coast. ...(*Interruptions*)

Therefore, I plead with the Minister, through you, Sir, to have another *chowkie* at Gopalpur port and Dhamra port. So much of poaching is going on by trawlers of Thailand and the South-Eastern countries that it is also disturbing the ecological balance of that sea coast and it is also in violation of the CRZ zones. The CRZ zones are being violated. So, I would like to have a specific reply from the hon. Minister.

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : माननीय सदस्य ने जो बातें यहां पर कही हैं, उनको हम नोट करते हैं और उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी, हम करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Coast Guard Act, 1978, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill. The question is:

"That clauses 2 to 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.